have been received for all the seven functional groups for which allotment is proposed in Functional Industrial Estates, Patpargani, Groupwise sorting of the applications has been undertaken.

(b) The Delhi Admn. has recently decided to make allotment by draw of lots.

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये अतिरिक्त राशि का प्रबंध

1539. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन और लाभांश में वृद्धि करने के उद्देश्य से सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अपने उत्पादन में वृद्धि के बावजूद ये औद्योगिक प्रतिष्ठान घाटा उठाते आ रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिये स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 1983–84) पर सातवीं योजना परिव्यय राशि 43137 करोड़ रुपये थी । चालू मूल्यों पर परिशोधित योजना परिव्यय राशि 63256 करोड़ रुपये है ।

(ग) वर्ष 1987-88, केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के उत्पादन के मूल्य में कुल मिलाकर वृद्धि 65030 करोड़ रुपये से 73805 करोड़ रुपये तक हुई है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुल 221 चालू उद्यमों में से सरकारी क्षेत्र के 102 उद्यमों ने इस वर्ष के दौरान घाटा उठाया है ।

(घ) सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन की निरन्तर समीक्षा करती रहती है । सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1987 88 के खण्ड 1 के पृष्ठ संख्या 229 से 230 तक दिया गया है ।

Multinational Companies pressure tactics on their Indian Counterparts

1540. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the multinational companies use veto power in their Indian Associated Companies;

(b) if so, what are the consequences of such a veto power; and

(c) what steps would be taken to correct this serious problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) Articles of Association of certain companies provide, *inter-alia*, that no resolution shall be passed by the Board of Directors unless a particular director has voted in favour of the resolution. As per legal advice, such a provision cannot be held to be violative of or ultra vires the provisions of section 9 of the Companies Act, 1956 and that there is no clear repugnancy between any of the provisions of the Act and the Articles in question.